\`गुड मॉर्निंग महोबा\` कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने किया ‘मार्निंग वॉक’ ..।

“जनपदवासियों ने ली महोबा पुलिस के साथ सेल्फी”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में लांच किये गये *गुड मार्निंग महोबा* कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा ‘मार्निंग वॉक’ कर जनपदवासियों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 23.12.2020 को जनपदीय महोबा पुलिस ने \`गुड मॉर्निंग महोबा\` कह लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया । जिससे खुश होकर नागरिकों ने पुलिस के साथ सेल्फी ली।

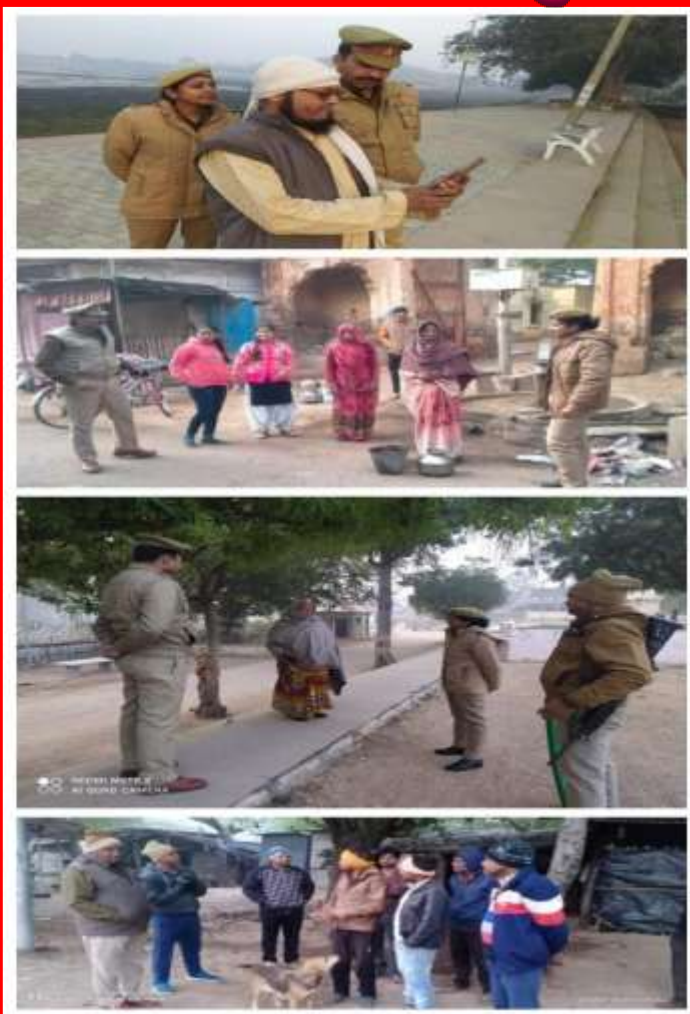

समस्त थानों की गुड मार्निंग टीमें प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगी और सुधारात्मक उपाय करेंगी । इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की छवि को 'पुलिस मित्र' के रूप में बढ़ावा देना है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर कर सकता है।

जिसके क्रम में पुलिस की बेहतर छवि को बढ़ावा देने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा पार्क, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ‘मार्निंग वॉक’ करेंगी और जनपदवासियों से उनकी कुशलता की जानकारी लेगी व समस्या का त्वरित निस्तारण भी करेंगी।

दिनांकः- 23.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

-थाना चरखारी में मां0 विधायक चरखारी के निजी सचिव के साथ हुये विवाद से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

- कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस किये गये बरामद-----‘पुलिस टीम को 10 हजार के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया’

आज दिनांक 23/12/2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा **श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री आर.के. गौतम** के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी चरखारी/नगर **श्री कालू सिंह** के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान वांछित वारण्टी अभियुक्त गण गिरफ्तारी/धरपकड के क्रम में थाना चरखारी में दिनांक 12/12/2020 को माननीय विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत, के निजी सचिव श्री रोहित कटियार की गाड़ी पर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना चरखारी में मु.अ.सं. 357/2020 धारा 307 **IPC** पंजीकृत कराया था घटना से सम्बन्धित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से गठित टीम थाना प्रभारी श्री लाखन सिंह व स्वाट टीम प्रभारी भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अभियुक्त 1. सुनील राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष व अभियुक्त 2. पुष्पेन्द्र उर्फ मुन्नू राजपूत पुत्र भगत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी गण ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर को करहरा खुर्द की ओर जाने वाली सड़क पर ग्राम करहरा खुर्द से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त सुनील राजपूत के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ था। जिस सम्बन्धित में मु.अ.सं. 365/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इस घटना का सफल अनावरण करने पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा गठित टीम को 10000/- रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. सुनील राजपूत पुत्र हरि नि.ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. पुष्पेन्द्र उर्फ मन्नू पुत्र भगत सिंह नि.ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी – 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ।

गठित पुलिस टीम का विवरणः–

1. **SO** लाखन सिंह (प्रभारी थाना चरखारी) 2. **SI** शिव रतन गुप्ता (चौकी प्रभारी गौरहारी)
3. **SI** मोबीन अली 4. का. धीरेन्द्र यादव
5. का. हिमांशू पाल 6. का. विशाल सिंह
7. **SI** भूपेन्द्र सिंह (प्रभारी स्वाट टीम) 8. **SI** राजबहादुर सिंह (स्वाट टीम)
9. का. नरेन्द्र कुमार 10. का. अभिजीत पाण्डेय 11. का. धर्मेन्द्र चाहर

"महोबा पुलिस"

दिनांक:- 23.12.2020

सोशल मीडिया सेल

थाना अजनर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

आज दिनांक 23/12/2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के धरपकड़ अभियान में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में थाना प्रभारी वरि.उ.नि. रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा गठित टीम में उ.नि. राजेश कुमार प्रजापति मय हमराह का. पीयूषसिंह थाना अजनर जनपद महोबा के द्वारा मुखविर की सूचना पर मु.अ.सं. 95/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि के वांछित अभियुक्त कैलाश अनुरागी उर्फ दाऊ पुत्र सोनीप्रसाद उर्फ स्वामीदीन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जिला महोबा को आज पेट्रोल पम्प ग्राम इन्द्रहटा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त अपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण:-

कैलाश अनुरागी उर्फ दाऊ पुत्र सोनीप्रसाद उर्फ स्वामीदीन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1.उ.नि.राजेश कुमार प्रजापति थाना अजनर जनपद महोबा।
2.का. पीयूष सिंह थाना अजनर जनपद महोबा।

Mahoba Police

दिनांकः- 23.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

“मिशन शक्ति” महाभियान के तहत

नोडल अधिकारी मिशन शक्ति/SO महोबकंठ द्वारा

विद्यालय की छात्राओं को दिये गये सुरक्षा-सम्बन्धी टिप्स...

उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे महाअभियान *मिशन शक्ति* के अनुपालन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा आज दिनाँक 23.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **मिशन शक्ति** अभियान के तहत राजकीय इण्टर कालेज, कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह की अध्यक्षता में व थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह की उपस्थिति में मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान **"मिशन शक्ति"** के तहत जागरुक किया गया तथा उन्हे महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरो की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हे शासन-प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य श्री सतीश मिश्रा, मंच पर शिक्षक श्री महेन्द्र कुमार अनुरागी, समाजसेवी श्री सन्तोष गंगेले, अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री बृजेश त्रिपाठी, श्रीमती रक्षा शुक्ला, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री गणेश प्रसाद आदि सम्मानित शिक्षक गण व महिला आरक्षी रेखा देवी, साधना सिंह मौजूद रहे।

Mahoba P

मां0 न्यायालय के आदेश की अवलेहना पर थाना कबरई पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई पुलिस ने धारा 174ए भादवि का अभियोग किया पंजीकृतः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में , व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के .गौतम के पर्यवेक्षण मे एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के नेतृत्व में माननीय न्यायालय के आदेशो व निर्देशो का पालन न करने वाले अभियुक्त गणो के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम मे मु.अ.सं. 281/20 धारा 147/149/342/307/332/353/379/411/120बी/504/506 भा.द.वि. धारा 7 C.L.A. ACT व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम थाना कबरई जनपद महोबा के नामजद अभियुक्त 1 मोनू सिंह S/O राजेन्द्र सिंह परिहार नि.मो. किदवईनगर थाना कबरई जनपद महोबा 2. राजेश सिंह पुत्र गोली सिंह नि. मो. किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा 3. मो. रिजवान S/O मो. आर खान उर्फ रसीद खान नि.ग्राम पुरे दुलम मजरे अमावा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशो की अबहेलना करने पर मुकदमा उपरोक्त विवेचक उप नि. श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा मु.अ.सं. 341/2020 धारा 174 A भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 22.10.2020 मु.अ.सं. 281/20 धारा 147/149/342/307/332/353/379/411/120बी/504/506 भा.द.वि. धारा 7 C.L.A. ACT व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम थाना कबरई जनपद महोबा की विवेचना उ.नि. श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गणो के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक श्री दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा मु.अ.सं. 319/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया जा चुका है। मु.अ.सं.281/20 उपरोक्त जिसमे नामजद वांछित अभियुक्त नं. 1 मोनू सिंह S/O राजेन्द्र सिंह परिहार नि.मो. किदवईनगर थाना कबरई जनपद महोबा 2. राजेश सिंह पुत्र गोली सिंह नि. मो. किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा 3. मो. रिजवान S/O मो. आर खान उर्फ रसीद खान नि.ग्राम पुरे दुलम मजरे अमावा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली निरन्तर फरार रहने के कारण माननीय न्यायायल द्वारा दिनांक 10.11.20 को उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध NBW निर्गत किए गये थे किन्तु अभियुक्त गण दस्तयाब नही हुए और न ही माननीय न्यायालय मे आत्म समर्पण किए तदोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2020 को उपरोक्त तीनो अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 82 CRPC के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गयी जिसकी तामील उ. नि. श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा नियमानुसार अभियुक्त राजेश व मोनू के मूल निवास स्थल जाकर तामील दिनांक 06.12.2020 को व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए की जा चुकी है किन्तु उपरोक्त अभियुक्त गणो द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए माननीय न्यायालय मे अब तक न तो आत्मसमर्पण किए है और न ही पुलिस थाने मे उपस्थित हुए है बल्कि घटना के समय से ही निरन्तर फरार चल रहे है। अभियुक्त गणो का यह कृत्य धारा 174 A भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उप नि. श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्तगणो उपरोक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 341/20 धारा 174 A भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

Mahoba Police

थाना महोबकंठ पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

आज दिनांक 23/12/2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के धरपकड़ अभियान में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम नें 01 वारण्टी अभियुक्त लालू पुत्र बृजकिशोर नाई उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 382/18 व अ0सं0 339/12 धारा 454/380/411 भादवि को ग्राम सौरा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त को संबंधित न्यायालय पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

लालू पुत्र बृजकिशोर नाई उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना महोबकंठ।

1. उ0नि0 सचिन कुमार
2. का0 राजेश कुमार

जनपदीय पुलिस द्वारा कोविड़-19 के प्रति लोगों को किया गया जागरूक एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 23.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के सभी थाना क्षेत्रों में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा के तहत यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के थाना क्षेत्रो में अभियान चलाकर चेकिंग की गई । जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर थानो द्वारा कोविड-19 के उल्लंघन पर 52 **व्यक्तियों से 7400/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर 59 **ई- चालान किये गये।**

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को नोवल कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

Mahoba